

भाग-III
डीडीहाट-पमस्यारी मोटर मार्ग - 7.675 किमी0
(प्रस्ताव संख्या 8091/2014)
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14 स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ। दिनांक 07.02.2015 निरीक्षण आख्या संलग्न है (संलग्न-1)।
15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	ऑन-लाइन प्रस्ताव में पूर्व में पार्ट-2 में सूचित वृक्षों की संख्या में भिन्नता होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 1786/12-1 दिनांक 09.02.2015 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पार्ट-2 में उनके द्वारा पूर्व में त्रुटिपूर्ण रूप से सूचित संख्या में अब संशोधन न हो सकने का उल्लेख कर अपने पत्रांक 2376/12-1 दिनांक 10.03.2015 से प्रभावित होने वाले वृक्षों की वास्तविक संख्या की सूची संलग्न की गयी है। इस प्रकार प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या को संलग्न सूची के अनुरूप 231 मानते हुए पार्ट-2 में वृक्षों के सम्बन्ध में किये गये उल्लेख में इस स्तर तक संशोधन के साथ प्रभागीय वनाधिकारी के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की जाती है। इस कार्यालय की आपत्ति व इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक से प्राप्त संशोधित सूचना मय संलग्नकों के संलग्न की जा रही है। (संलग्न 1 से 4)
16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 0से 10 व 10 से 20 व्यास श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रत्यारोपण प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांक:- 12.03.2015

स्थान:- अल्मोड़ा।

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

E-Mail : cfkumaon_north@rediffmail.com (05962) 231099 (05962) 230397 Fax 230397

पत्रांक 1786/12-1 दिनांक, अल्मोड़ा, 09.02. 2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषय :- डीडीहाट से पमस्थारी मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव।

संदर्भ :- आप द्वारा प्रेषित ऑन लाईन प्रस्ताव।

महोदय,

उक्त मार्ग के ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव के आप द्वारा अंकित किये गये पार्ट-2 में प्रस्तुत सूचनाओं के अवलोकन करने पर निम्न स्थिति संज्ञान में आयी-

1. प्रपत्र के बिन्दु संख्या 4 में प्रभावित वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या में कुल 65 वृक्ष सूचित किये गये हैं जबकि इस प्रस्ताव से सम्बन्धित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी हॉर्ड कॉपी के प्रपत्र 15 में वन भूमि में प्रभावित होने वाले विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों की कुल संख्या 349 सूचित की गयी है, जिसमें बॉज प्रजाति के 97 वृक्ष सूचित हैं।

2. आप द्वारा ऑन लाईन किये गये पार्ट-2 में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निरीक्षण की तिथि 16.01.2015 दर्शायी गयी है जबकि इस मार्ग के प्रस्ताव की प्रस्तुत हॉर्ड कॉपी में यह तिथि 10.10.2014 सूचित है।

3. प्रपत्र 2 के बिन्दु संख्या 7 में प्रस्तावित मार्ग की वन क्षेत्र से दूरी 30 किमी० दर्शायी गयी है जबकि दिनांक 07.02.2015 को स्थल निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि इस प्रस्तावित मार्ग से अस्कोट वन्य जीव विहार की दूरी 2 से 3 किमी० से अधिक नहीं है।

कृपया उक्त बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करें ताकि प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

पिथौरागढ़ वन प्रभाग से सम्बन्धित सभी प्रस्ताव में अत्यधिक त्रुटिया पायी जा रही हैं, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आपके स्तर पर भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के निस्तारण के सम्बन्ध में लापरवाही बरती जा रही है यह आपत्तिजनक है। कृपया इस ओर ध्यान दें।

भवदीय

(संतोष विजयय शर्मा)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

e-mail: dfo_pith_uta@yahoo.com

दूरभाष / फ़ैक्स नं०- (05964) 225234

पत्रांक 2376 / 12-1 दिनांक, 10.3.2015 पिथौरागढ़,
सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमौज वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:-

डीडीहाट-पम्पस्यारी मोटर मार्ग का प्रस्ताव।

संदर्भ:-

आपका पत्रांक 1786/12-1 दि० 09-02-2015 तथा पत्रांक 1994/12-1 दि०
26-2-2015।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है:-

बिन्दु संख्या-1 प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या 349 है जिसमें से 48 वृक्ष नाप भूमि में तथा 301 वृक्ष वन पंचायत तथा सिविल सोयम भूमि पर प्रभावित हो रहे हैं। पूर्व में प्रस्ताव में वृक्षों की संख्या व्यासवर्ग तथा आनलाइन प्रस्ताव में वृक्षों की संख्या परिधि के आधार पर दर्शाये जाने के कारण उक्त अन्तर उत्पन्न हुआ क्योंकि प्रस्ताव को एक बार भरने के पश्चात इसे पुनः ठीक किया जाना सम्भव नहीं था इसलिए आपत्ति का निराकरण करते समय प्रजातिवार गणना रिपोर्ट को पुनः स्केन कराकर अपलोड कराया गया था। यहाँ यह भी स्पष्ट कराना है कि आनलाइन पृविष्टि करते समय 31-60 Girth Class से वृक्षों की संख्या दर्शायी जानी है। 0-10 व्यासवर्ग अर्थात् 0-30 Girth Class को इसमें नहीं दर्शाया गया है।

उक्त संबंध में दूरभाष पर भी आपके कार्यालय को अवगत करा दिया गया था।

बिन्दु संख्या-2 अधिकांश वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में किया गया था परन्तु प्रस्ताव को आनलाइन करने के पश्चात सिस्टम की कमी के कारण इसमें निरीक्षण तिथि आनलाइन करने के बाद की भरनी पड़ रही है। इस संबंध में नोडल अधिकारी को भी समय-समय पर अवगत कराया गया है।

बिन्दु संख्या-3 प्रस्तावित मोटर मार्ग से अस्कोट वन्यजीव विहार की दूरी हार्डकापी में 3.0 कि०मी० ही दर्शायी गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि आपको किसी अन्य सूचना की आवश्यकता हो तो अवगत कराने की कृपा करें।

सलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित डीडीहाट से पमस्यारी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

उक्त मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची वन भूमि प्रस्ताव में दर्शायी गयी है जिसे **Girth class wise** के आधार पर बनाये जाने पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	प्रजाति	Girth Class				
		31-60	61-90	91-120	120 से अधिक	योग
1	बांज	15	66	13	3	97
2	चीड़	3	17	7	16	43
3	उतीस	0	29	9	8	46
4	कुकाट	0	11	2	8	21
5	काफल	1	1	0	0	2
6	तुन	0	0	1	0	1
7	मेहल	0	1	0	0	1
8	बुरांश	0	4	0	2	6
9	जामुन	0	2	0	0	2
10	अयार	0	2	0	0	2
11	मैवा	5	1	0	0	6
13	हरड़	0	0	1	0	1
15	गैठी	1	0	0	0	1
16	कटुक	0	2	0	0	2
17	भतेला	0	0	0	0	0
योग:-						231

नोट:- 118 वृक्ष 0-30 Girth से कम के वृक्षों को उपरोक्त सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़।

11/05/2020

परियोजना का नाम:- डीडीहाट- पमस्यारी मोटर मार्ग 5.857 हे०

निर्माण प्रस्ताव संख्या:- 8091/2014

प्रस्तावित मोटर मार्ग से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा प्राप्त होने के उद्देश्य से उक्त 5.857 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रसारित किया जाता है। प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

प्रभागीय वनधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।